कार्यालय कलेक्टर जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)

–:: निविदा सूचना ::–

क्रमांक /5228/ प्रपत्र शा0 / 2017 बलरामपुर, दिनांक 13/04/2017

बलरामपुर–रामानुजगंज जिले के लिये लेखन से संबंधित सामग्री विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिये कार्यालयीन उपयोग हेतु विभिन्न प्रकार के लेखन से संबंधित सामग्री क्रय किया जाना है।

अतएव बलरामपुर–रामानुजगंज जिले के लेखन सामग्री विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि निर्धारित सील बंद निविदा दिनांक **27.04.2017** को दोपहर 03.00 बजे तक अधीक्षक जिला कार्यालय बलरामपुर–रामानुजगंज के कक्ष में जमा कर सकते है, तथा दिनांक **29.04.2017** को दोपहर 03.00 बजे प्राप्त **निविदाये निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा शर्ते तथा आवेदन पत्र दिनांक 27.04.2017** को 02.30 बजे तक रूपये 5000/– (पांच हजार रूपये) निविदा शुल्क जिला कार्यालय के नाजरात शाखा में नगद जमा कर रसीद प्राप्त किये जा सकते है।

निविदा शर्ते :–

1– निविदा सील बंद लिफाफा दिनांक **27.04.2017** को 03.00 बजे अपरान्ह तक अधीक्षक जिला कार्यालय बलरामपुर में प्राप्त हो जाना चाहिये, बाद में प्राप्त होने वाले निविदाकारों पर कोई विचार नही किया जावेगा।

2– निविदाकारों को अपनी निविदा में वाणिज्यकर का क्रमांक अंकित करना अनिवार्य होगा, वाणिज्यकर क्रमांक अंकित न होने पर निविदा वैद्य नही मानी जावेगी।

3– निविदा कार्यालयीन समय पर कलेक्टर कार्यालय अधीक्षक कक्ष में कार्यालयीन समय में (लेखन एवं प्रपत्र सामग्री) प्रदाय करने हेतु निविदा लाल स्याही से अंकित करें। फर्म/संस्था का नाम व पता साफ अक्षरों में लिफाफा के उपर लिखना अनिवार्य है।

4– निविदा के साथ प्रत्येक सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक सामग्री का नाम किस कम्पनी द्वारा निर्मित है, सामग्री की मात्रा, साईज, मूल्य निर्माता मय कम्पनी का नाम आदि स्पष्ट लिखना होगा। बिना नमूना के प्राप्त निविदा को शामिल नही किया जावेगा। संलग्न सूची में चाही गई सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामग्री का निविदा स्वीकार नही किया जावेगा। यह दर दिनांक 31.03.2018 तक मान्य होगा, निविदा स्वीकार किया उसका नमूना 31.03.2018 तक सुरक्षित रखा जावेगा।

5– निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में रूपये 5000/– (पांच हजार रूपये) मात्र नगद जिला कार्यालय के नाजरात शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा। बिना प्रतिभूति राशि जमा किये प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।

6– सामग्री की मांग आदेश प्राप्त होने पर तत्काल जिला के सभी कार्यालयों को 03 (तीन) दिवस के भीतर प्रदाय करना अनिवार्य होगा।

7– प्रदाय की गई कोई भी सामग्री नमूने के अनुसार न होने अथवा निम्न स्तर की होने या कम होने की दशा में सामग्री निविदाकारों का स्वयं के व्यय पर वापिस उठानी होगी।

8– निविदा स्वीकृति के सूचना के पश्चात् समय–समय पर कार्यालय द्वारा भेजे गये मांग पत्र अनुसार सामग्री सप्लाई करना अनिवार्य होगा। सफल निविदाकारों को स्वयं के व्यय पर सामग्री जिला मुख्यालय के कार्यालय में पंहुचाना होगा। मांग पत्र अनुसार सामग्री सप्लाई उपलब्ध न करने की दशा में सामग्री अन्य दुकानों से क्रय की जावेगी और उस पर होने वाली आर्थिक क्षति की रकम निविदाकारों की डिपाजिट उसकी राशि में से अन्यथा भू–राजस्व की वसूली की भांति वसूल की जावेगी तथा उनके फर्म को काली सूची में दर्ज किया जावेगा।

9– किसी भी निविदा की स्वीकृति करने अथवा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर, बलरामपुर–रामानुजगंज को होगा।

10– किसी भी प्रकार के निविदा के लिये कलेक्टर, बलरामपुर–रामानुजगंज का निर्णय अंतिम एंव सर्वमान्य होगा।

11– अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह पूरा अधिकार होगा कि बिना कारण बताये सामग्री की गुणवत्ता आदि को देखते हुए उपर दर की ''निविदा'' स्वीकृत कर सकेगा। इस संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन ग्राह्य नही होगा।

12– वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत दर पर आदेशित तादाद में लेखन से संबंधित सामग्री का प्रदान न करने पर धरोहर की राशि राजसात कर ली जावेगी तथा संबंधित फर्म का नाम काली सूची में अंकित किया जावेगा।

13– स्वीकृत मूल्य दर पर दिनांक 31.03.2018 तक लेखन से संबंधित सामग्री की आपूर्ति आवश्यकता अनुसार कार्यालयों को प्रदाय करना अनिवार्य होगा।

14– निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी शर्ते स्वीकार है।

15– सभी सामग्रियों की वेट टैक्स को पृथक से जोड़कर दर प्रस्तुत करें।

कलेक्टर
बलरामपुर–रामानुजगंज

पृ0क्र0/5229/प्रपत्र शा0/2017–18 बलरामपुर, दिनांक 13 /04/2017

प्रतिलिपिः–

1– संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन (विज्ञापन शाखा) महिला थाना के पास रायपुर (छ0ग0) को दैनिक समाचार पत्रों में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशन हेतु प्रेषित। कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा की 1–1 प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बलरामपुर, को बेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

3– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय बलरामपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशन हेतु। प्रकाशित निविदा की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करावें।

4– प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय (नाजरात शाखा) को सूचनार्थ अग्रेषित। निविदा के साथ रूपये 5000/–(रूपये पांच हजार) मात्र धरोहर राशि जमा किया जाना है। कृपया धरोहर राशि प्राप्त कर रसीद प्रदाय करें।

5– अधीक्षक, जिला कार्यालय बलरामपुर–रामानुजगंज को सूचनार्थ।

6– कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

7– स्थानीय लेखन से संबंधित सामग्री विक्रेता मेसर्स .... जिला बलरामपुर–रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न सूची :–

कलेक्टर
बलरामपुर–रामानुजगंज